राजस्थान सरकार

कार्मिक (क–1/गो०प्र०) विभाग

क्रमांक :– प. 13(51) कार्मिक/क–1/गो.प्र./2022 जयपुर, दिनांक : 30 MAR 2022

–: परिपत्र :–

विषय :– राज्य सेवा के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन राजकाज सॉफ्टवेयर द्वारा ऑनलाईन भरे जाने बाबत।

कार्मिक विभाग द्वारा पूर्व में जारी परिपत्र क्रमांक प. 13(51) कार्मिक/ क–1/गो.प्र./2017 दिनांक 12.07.2017 के क्रम में राजस्थान प्रशासनिक सेवा के साथ–साथ राज्य सेवा के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा वर्ष 2021–22 से कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (APAR) राजकाज सॉफ्टवेयर द्वारा ऑनलाईन भरा जावेगा एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिवेदन (APAR) में निश्चित समयावधि में टिप्पणी का अंकन नही किये जाने की दशा में Auto Forward/Approval प्रणाली अपनायी जावेगी।

राज्य सेवा के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी अपने एसएसओ आईडी के द्वारा लॉग इन कर राज–काज सॉफ्टवेयर के APAR Module में स्वंय के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के अनुक्रम में चैनल अनुसार प्रतिवेदक, समीक्षक व स्वीकारकर्ता प्राधिकारी नियत करेंगे एवं प्रतिवेदन चैनल अनुसार पूर्ण कर अगले स्तर पर अग्रेषित करेंगे। प्रतिवेदित द्वारा निश्चित समयावधि में प्रतिवेदन प्रस्तुत नही करने की स्थिति में प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा भी स्वंय के स्तर पर प्रतिवेदन टिप्पणी कर अग्रेषित किया जा सकेगा।

प्रतिवेदक, समीक्षक एवं स्वीकारकर्ता प्राधिकारी द्वारा निश्चित समयावधि में अपनी टिप्पणी अंकित किया जाना जरूरी है, अन्यथा प्रतिवेदन बिना टिप्पणी/ग्रेडिंग के Auto Forward/Approval प्रणाली से अग्रिम स्तर पर अग्रेषित हो जायेगा।

वर्ष 2021–22 से टंकित एवं डाक द्वारा प्रेषित कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकार नहीं किये जावेगे। परंतु जिन अधिकारियों के निर्धारित चैनल में यदि माननीय जनप्रतिनिधि की टिप्पणी अंकित किया जाना आवश्यक हो उनके प्रतिवेदन ऑफलाईन भी भरे जा सकेंगे।

अतः राज्य सेवा के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि वे अपने वर्ष 2021–22 से कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन राज–काज सॉफ्टवेयर के APAR Module में निश्चित समयावधि में आवश्यक रूप से ऑनलाईन भरा जाना सुनिश्चित करेंगे। राज–काज सॉफ्टवेयर द्वारा ऑनलाईन कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन भरने की प्रक्रिया पृथक से जारी की जावेगी।

ह0
(हेमन्त कुमार गेरा)
प्रमुख शासन सचिव

राजस्थान सरकार

निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :– निसंशि / गो.प्र. / 2022 / 11291 – 490 दिनांक :– 20/4/2022

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. समस्त प्राचार्य, राजकीय आचार्य / शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय, राजस्थान।
2. संभागीय संस्कृत शिक्षाधिकारी, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, भरतपुर, कोटा, बीकानेर संभाग चूरू।
3. उप निदेशक, राजस्थान राज्य संस्कृत शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (SSIERT), जयपुर।
4. समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय, राजस्थान।
5. वेबसाईट प्रभारी, निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

20/4/2022

(डॉ. दीरघराम रामस्नेही)
निदेशक
संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर